रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2016/ज्येष्ठ 23, 1938
No. 407] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2016/ JYAISTHA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून , 2016

सा.का.नि. 594(अ).— केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें प्रभावित सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 6 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करवा दी गईं थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान नियम (छठा संशोधन) नियम 2016 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 93ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"93ग **विमान पत्तन यात्री बस (टरमैक बस) का सकल विस्तार**

(1) विमानपत्तन यात्री बस की समग्र लंबाई पंद्रह मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(2) विमानपत्तन यात्री बस की समग्र चौढ़ाई 3.2 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "विमानपत्तन यात्री बस (टरमैक बस)" पद से दोनों ओर द्वार वाली ऐसी बस अभिप्रेत है जिसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक अधिकतम यानीय गति के साथ अनन्य रूप से यात्रियों को विमान पत्तन टर्मिनल से जहाज तक ले जाने और जहाज से विमानपत्तन टर्मिनल तक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है ।

3. मूल नियमों के नियम 118 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

(3) नियम 93ग में निर्दिष्ट विमानपत्तन यात्री बस ऐसे स्पीड गवर्नर; (गति सीमित करने वाली युक्ति या गति सीमित करने वाला प्रकार्य) से सज्जित होगी या उसमें ऐसा स्पीड गवर्नर फिट होगा जो अधिकतम तीस किलोमीटर प्रति घंटा या ऐसी निम्न गति सीमा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, पहले से सेट हो; और जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:018/2001 मानक के अनुरूप हो ।"।

4. मूल नियमों के नियम 125ग के उपनियम (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह और कि विमान पत्तन यात्री बस का प्रचालन विमान पत्तन परिसर के भीतर निर्बंधित होगा और ऐसी बसों पर बस के प्रत्येक ओर कम से कम 50 मी.मी. आकार के अक्षरों से चिन्हांकित होगा"। पर "निर्बंधित उपयोग: केवल एयर साइड के भीतर प्रचालन हेतु"

[सं. आरटी-11028/03/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 473 (अ) तारीख 2 मई, 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2016

G.S.R. 594(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 408 (E), dated the 6th April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6th April, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2016.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules 1989 (herein after referred as the principal rules), after rule 93B, the following rule shall be inserted, namely:—

"93 C. **Overall dimension for Airport Passenger Bus (Tarmac Bus)**

(1) The Overall Length of the Airport Passenger Bus shall not exceed fifteen meters.

(2) The Overall Width of the Airport Passenger Bus shall not exceed 3.2 meters.

Explanation.- For the purposes of this rule, the term "Airport Passenger Bus (Tarmac Bus)"means the Bus having doors on both sides which is exclusively used for the carrying the passengers from airport terminal to and from the aircraft and plying on the air side on the Air port terminal with maximum speed not exceeding thirty kilometer per hour.

3. In rule 118 of the principal rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted namely:-

(3). An Airport Passenger Bus, referred to in rule 93C, shall be equipped or fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of thirty kilometer per hour or such lower speed limit as specified by the State Government from time to time, conforming to the standard AIS: 018/2001 as amended from time to time.

4. In rule 125 C of the principal rules, in sub –rule (1), after the existing provisio, following provisio shall be inserted, namely;—

"Provided further that the operation of the airport passenger bus shall be restricted within the airport premises, for movement of passengers and such buses shall be provided with a marking "RESTRICTED USE: WITHIN AIRSIDE OPERATIONS ONLY" with a letter size of not less than 50mm in height on each side of the bus"

IndiaCode

[No. RT-11028/03/2016-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:. The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G. S. R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 473(E) dated the 02.05.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.